बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 05/2015, बिहार स्वास्थ्य सेवा के अधीन बेसिक ग्रेड के दन्त चिकित्सकों के 558 (पाँच सौ अंठावन) रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों (पुरूष एवं महिला) से विहित प्रपत्र म आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन रिक्त 558 (पाँच सौ अंठावन) पदों में से अनारक्षित को 281 (दो सौ एकासी), अनुसूचित जाति को 90 (नब्बे), अनुसूचित जनजाति को 06 (छः), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग को 99 (निनानबे), पिछड़ा वर्ग को 66 (छियासठ), एवं पिछड़ा वर्ग की महिला को 16 (सोलह) पद अनुमान्य है। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों को नियमानुसार 3% आरक्षण देय होगा।

2. **वेतनमान** – पी॰बी॰–2 9,300–34,800/– रू॰, ग्रेड पे 5400/– रू॰

3. **शैक्षिक योग्यता** :–
   (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी॰डी॰एस॰ की डिग्री, तथा बिहार एवं उड़ीसा मेडिकल एक्ट 1916 के अन्तर्गत स्थायी रूप से निबंधित होना चाहिए।
   (ख) स्नातकोत्तर अथवा उच्चतर डिग्री धारकों एवं बिहार राज्य के किसी सरकारी अस्पताल में अनुबंध के आधार पर नियुक्त दन्त चिकित्सकों क कार्यानुभव को अधिमानता दी जाएगी।

4. **उम्र सीमा** – दिनांक 01.08.2014 को अधिकतम, अनारक्षित – 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष)– 40 वर्ष, महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष।

स्वास्थ्य विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक – 769(2), दिनांक 04.07.2014 द्वारा राज्य में चिकित्सकों की कमी एवं रिक्तियों को देखते हुए तथा स्वास्थ्य सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिये राज्यहित तथा कार्यहित में उक्त निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में सभी वर्गो के लिये समान रूप से 16 (सोलह) वर्षों की छूट देने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हैं। इस छूट के बाद दिनांक 01.08.2014 को अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार होगी :–

(क) अनारक्षित वर्ग – 37 + 16 = 53 वर्ष
(ख) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग – 40 + 16 = 56 वर्ष
(ग) महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग) – 40 + 16 = 56 वर्ष
(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 + 16 = 58 वर्ष।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए उक्त अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा मे 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

5. **चयन प्रक्रिया** – सामान्य उप संवर्ग में नियुक्ति हेतु चिकित्सकों का चयन उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। रिक्ति/रिक्तियों से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में आरक्षण कोटिवार रिक्ति/रिक्तियों के पाँच गुणा उम्मीदवारों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं साक्षात्कार के लिए कुल 100 अंक होंगे। इन 100 अंको का निर्धारण निम्नवत् होगाः–

(i)	बी॰डी॰एस॰ में प्राप्तांक के लिए	–	50 अंक
(ii)	स्नातकोत्तर एवं उच्चतर डिग्री के लिए	–	10 अंक
(iii)	सरकारी अस्पतालों में कार्यानुभव के लिए (प्रत्येक वर्ष के लिए 05 अंक, अधिकतम 25 अंक)	–	25 अंक
(iv)	साक्षात्कार के लिए	–	15 अंक
	कुल	–	**100 अंक**

टिप्पणी– (क) बी॰डी॰एस॰ में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का निर्धारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.5 = 25 अंक दिए जाएंगे।
(ख) विश्वविद्यालय बी॰डी॰एस॰ परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा।
(ग) न्यूनतम अर्हतांक (क्वालीफाइंग मार्क्स) 30 होगा।

6. **आरक्षणः**
   (i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करगे।
   (ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं॰ 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

7. **शुल्कः**

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25/– (पचीस) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 75/– (पचहत्तर) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक आफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करना है तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखना है।**

8. **अन्यः**

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

9. **अंतिम तिथिः**
   (i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि गुरूवार, दिनांक 30.04.2015 की संध्या 5.00 बजे तक संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**
   (ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश/आवेदन प्रपत्र

1. **प्रविष्टिः**

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन पत्र का प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले स्याही के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है। अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय–**

रि	न	ग	धा			

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 8(i) ''शैक्षिक योग्यता'' के अधीन प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 09 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 10 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(viii) आवेदन पत्र के पृष्ठ संख्या–3 में दिये गए कॉलम जो विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए विरमित/मुक्त करने से संबंधित है, केवल सरकारी सेवकों के लिए है। उक्त कॉलम को संविदा/अनुबंध के आधार पर कार्यरत चिकित्सक नही भरेंगे।

2. **फोटोग्राफः**

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता ह। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. **लिफाफाः**

(i) **लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।**

(ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, बी॰डी॰एस॰ डिग्री प्रमाण पत्र तथा सभी वर्षो की परीक्षाओं के अंक पत्र, इन्टर्नशीप प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र (जिसमें कार्य करने की अवधि का स्पष्ट उल्लेख हो), स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ) एवम् विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।**

वसे उम्मीदवार, जिन्होंने बी॰डी॰एस॰ की डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त किया हो एवं जिनके अंक पत्र में अंक की जगह Good/Satisfactory/Excellent इत्यादि अंकित है, उन्हें अपने विश्वविद्यालय से उक्त अभ्युक्तियों को अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला प्राप्त कर अपने आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, अन्यथा उनके आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएँगे।

(iii) **16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना